कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)
☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja 200@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 4186 अम्बिकापुर, दिनांक / 24 / 7 / 2017

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर।

विषय :- सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर जिले के सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर वन मण्डल में आवेदनकर्ता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43) अम्बिकापुर से पत्थलगांव मार्ग तक पेव्हड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण हेतु 31.104 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन बाबत्।

संदर्भ :- 1. छ.ग. शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–5–40 / 2017 / 10–2, रायपुर, दिनांक 12.07.2017
2. आपका पत्र क्र. / एन.एच.डी.पी. / 2017 / 1238 अम्बिकापुर, दिनांक 21.07.2017

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अम्बिकापुर से पत्थलगॉव मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 31.104 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रकरण में अधिरोपित शर्तो के पालन में निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके :–

1. अधिरोपित शर्त क्रमांक 02 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि वर्ष 2017–18 की दर से 37338610.00 (रूपये तीन करोड़ तिहत्तर लाख अड़तीस हजार छः सौ दस) निर्धारित है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	व्यपवर्तित वनभूमि हे. में	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनभूमि हे. में	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रति हे. राशि	कुल राशि
1	31.104	62.208	600222.00	37338610.00

2. अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि में वृद्धि होने की स्थिति में भुगतान हेतु आवश्यक वचन पत्र प्रस्तुत करें।

3. अधिरोपित्त शर्त क्रमांक 05 के पालन में सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत प्रत्याशा मूल्य (एन.पी. वी.) की राशि 19041635.00 (रूपये एक करोड नब्बे लाख इक्तालिस हजार छः सौ पैतीस) निर्धारित है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	व्यपवर्तित वनभूमि हे. में	प्रत्याशा मूल्य की राशि	वनमण्डल
1	23.077	19041635.00	सरगुजा वनमण्डल

4. अधिरोपित शर्त क्रमांक 06 के पालन में प्रत्याशा मूल्य की राशि में वृद्धि होने की स्थिति में भुगतान हेतु आवश्यक वचन पत्र प्रस्तुत करें।

5. प्रकरण अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं प्रत्याशा मूल्य की राशि Ad-hoc Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के खाता क्रमांक CA25203

ROHIT:E:\DM\FCA Proposal\NH Ambikapur To Pathalgoan\MEMO.doc 74

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

Scanned by CamScanner

Corporation Bank Block No. II, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा कर भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत करें।

6. अधिरोपित शर्त क्रमांक 01 से 34 तक के बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन नियमानुसार 04 प्रतियों में तैयार कर मय आवश्यक अभिलेख सहित प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 4187 अम्बिकापुर, दिनांक/ 24 / 7 /2017

1. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर एवं जशपुर वनमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण अन्तर्गत अधिरोपित शर्तो के पालन में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
3. उप वनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर एवं सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर, लुण्ड्रा एवं सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण अन्तर्गत वनभूमि में स्थित कुल 513 वृक्षों के विदोहन हेतु वृक्ष विदोहन योजना, नियमानुसार तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि विदोहन हेतु आवश्यक राशि की मांग की जा सके।

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) **E-mail Id** -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 2841 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2017

प्रति

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर।

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act,1980 under widening and upgrating of NH-78 to 2-Lane with paved shoulder from Ambikapur to pathalgoan areas-31.104 regarding.**
– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/ROAD/12117/2015

संदर्भः–
1. छत्तीसगढ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–40/2017/10–2 दिनांक 12.07.2017
2. अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध) छ. ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–589/2288 दिनांक 22.07.2017
3. आपका पत्र पृ. क्रमांक/तक.अधि./न.क्र.–03/4289 दिनांक 31.07.2017

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में अम्बिकापुर से पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक – 78 (नया रा.रा. क्रमांक–43) का पेव्हड शोल्डर सहित दो लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण के लिए प्रभावित कुल वनभूमि 31.104 हे. के व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रथम चरण की स्वीकृति छत्तीसगढ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–40/2017/10–2 दिनांक 12.07.2017 के द्वारा जारी किया गया है।

उक्त प्रकरण में सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि 6.645 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.540 हे. कुल वनभूमि 7.185 हे. सम्मिलित है । मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ. ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/224/358 दिनांक 11.03.2013 के निर्देशानुसार वनमण्डल अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र 7.185 हे. का प्रत्याशा मूल्य की गणना प्रतिवेदन तैयार कर आपके द्वारा मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ शासन वन विभाग नया मंत्रालय रायपुर के द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक–05 के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत आने वाले वनक्षेत्र 7.185 हे. हेतु मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर के द्वारा अनुमोदित प्रत्याशा मूल्य की आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	5673975.00
	योग :–	5673975.00

अतः उक्त प्रकरण में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि 7.185 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की कुल राशि **5673975 .00 (छप्पन लाख तिहत्तर हजार नौ सौ पचहत्तर रूपय)** मात्र का भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में ई–चालान के माध्यम से जमा करने हेतु आवेदक संस्थान को लेख करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 2842 सूरजपुर, दिनांक/04/8/2017

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल जशपुर(छ0ग0)

दूरभाष क0 : ☎(07763) 223225 (व), ☎ फैक्स (07763) 220998, निवास ☎(07763) 223224,✆(07763) 203051

E-mail Address - dfojsp@gmail.com

क्र0 / मा0चि0 / 2017 / 1544 जशपुर, दिनांक / 02 / 08 / 2017

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 under widening and upgrading of NH-78 to 2- Lane with Paved shoulder from Ambikapur to Pathalgaon area-31.104 regarding. FP/CG/ROAD/12117/2015**

सन्दर्भः– 1. छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–40 / 2017 / 10–2 दिनांक 12.07.2017
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध / विविध / 115–589 छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 2289 / रायपुर दिनांक 22.07.2017

———00———

उपरोक्त विषयांकित Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 under widening and upgrading of NH-78 to 2- Lane with Paved shoulder from Ambikapur to Pathalgaon area-31.104 ha. के अंतर्गत गैरवानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–5–40 / 2017 / 10–2 दिनांक 12.07.2017 द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप जारी किया गया है एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध / विविध / 115–589 छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 2289 / रायपुर दिनांक 22.07.2017 के निर्देशानुसार प्रकरण में जशपुर वनमण्डल अंतर्गत प्रभावित हो रहे राजस्व क्षेत्र रकबा 0.842 हे. के प्रथम चरण स्वीकृति में दिये निर्देशानुसार राशि जमा करें। एवं बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन तैयार कर जमा राशि का मूलप्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करें।

1. प्रत्याशा मूल्य राशि (एन.पी.व्ही.) योग रकबा 0.842 हे. (गणना पत्रक के अनुसार)	**राशि रूपये 5,27,092 (पांच लाख सताईस हजार बानब्बे रूपये)** इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर के निर्धारण हेतु गठित विशेषज्ञ से अनुमोदन उपरान्त यदि उक्त भूमि का मूल्य उर्ध्वमूखी निर्धारित होता है तो आपके द्वारा राशि जमा की जावेगी इस आशय का वचन–पत्र पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करें।

उपरोक्त राशि बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार **छ.ग. राज्य वेब पोर्टल पर वेबसाईट पर ई चालान उत्पन्न होने पर ई–भुगतान द्वारा कैम्पा मद** में जमा कर मूल पावती पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें

उपरोक्त राशि बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार उपरोक्त राशि जमा करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप पालन प्रतिवेदन के साथ शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके। प्रत्याशा मूल्य की राशि उपरोक्त आंकलन के अतिरिक्त देय होती है तो आपके द्वारा जमा की जावेगी इस आशय का वचन–पत्र साथ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करें।

वनमण्डलाधिकारी
जशपुर वनमण्डल जशपुर

पृ. क्र0 / मा0चि0 / 2017 / 1545 जशपुर, दिनांक / 02 / 08 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला कलेक्टर जशपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
जशपुर वनमण्डल जशपुर